भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 212

गुरूवार, 12 मार्च, 2026/21 फाल्गुन, 1947 (शक)

देश में असंगठित कामगार

***212. श्री संदोष कुमार पीः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में असंगठित कामगारों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत संरक्षित असंगठित कामगारों की संख्या कितनी है;

(ग) असंगठित क्षेत्र में असंरक्षित कामगारों की इतनी बड़ी संख्या होने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या मंत्रालय के पास असंगठित क्षेत्र के सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम शुरू करने की कोई योजना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*** ****

"देश में असंगठित कामगार" के संबंध में श्री संदोष कुमार पी द्वारा पूछे गए दिनांक 12.03.2026 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *212 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार, अनौपचारिक क्षेत्र में कुल अनुमानित कार्यबल लगभग 43.99 करोड़ है।

भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण विस्तारों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के आईएलओएसटीएटी डेटाबेस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया है। भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार डिजिटल और वित्तीय समावेशन के सुदृढ आधार के कारण संभव हुआ है।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभों का विस्तार करने के लिए, केंद्र सरकार ने असंगठित कामगारों के आधार से जुड़े एक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) के निर्माण के लिए 26.08.2021 को ई-श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है। आज तक की स्थिति के अनुसार, 31 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों ने ई-श्रम पोर्टल पर स्व-घोषणा के आधार पर पंजीकरण कराया है, जो विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच को सुगम बनाता है।

असंगठित कामगारों को सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत भी कवर किया जा रहा है। प्रमुख योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम)
(ii) व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस-ट्रेडर्स)
(iii) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)
(iv) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)
(v) अटल पेंशन योजना (एपीवाई)
(vi) प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई)
(vii) आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई)

उपर्युक्त योजनाओं का ब्यौरा अनुबंध-I में संलग्न है।

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित इन योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से, असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन सुरक्षा, जीवन और दुर्घटना बीमा और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जाती है।

जारी.....2/-

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 दिनांक 21.11.2025 को लागू हो गई है जिसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा लाभों तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करके, रोजगारों और राज्यों में लाभों की पोर्टेबिलिटी को बढ़ावा देकर, केंद्र और राज्य सरकारों को समुचित योजनाओं को तैयार करने में सक्षम बनाकर, कारगर वितरण के लिए तकनीक का लाभ उठाकर, और श्रम बाजार की उभरती हुई स्थितियों के अनुरूप कार्यबल को व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकारों, नियोक्ताओं और एग्रीगेटर्स की भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए मौजूदा सामाजिक सुरक्षा कानूनों को एक ही ढांचे में समेकित करने और उनका सरलीकरण करने तथा सामाजिक सुरक्षा कवरेज को संगठित, असंगठित, गिग, प्लेटफॉर्म और स्व-नियोजित कामगारों सहित सभी कामगारों तक विस्तारित करना है।

असंगठित कामगारों की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच के लिए वन-स्टॉप-सोल्यूशन के रूप में ई-श्रम को विकसित करने की बजट घोषणा 2024-25 को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम "वन-स्टॉप-सोल्यूशन" का शुभारंभ किया। इस पहल में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं को एक ही पोर्टल, अर्थात ई-श्रम पर एकीकृत किया जाना शामिल है, जिससे पंजीकृत कामगारों को पोर्टल के माध्यम से योजनाओं तक पहुंचने और उनके द्वारा प्राप्त लाभों को देखने में उन्हें सक्षम बनाया जा सके।

अब तक, देश भर में ई-श्रम कार्डधारकों को सामाजिक सुरक्षा, बीमा और कौशल विकास कार्यक्रमों के लाभों और पहुंच का विस्तार करने के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की चौदह (14) योजनाओं को ई-श्रम के साथ एकीकृत किया गया है जिनमे प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जीआरएएमजी), प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनआरसी) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) शामिल हैं।

उपर्युक्त के अलावा, ई-श्रम नौकरी के अवसरों के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस), कौशल विकास के लिए स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच), पेंशन लाभ के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) तथा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के अभिसरण पोर्टल के साथ जुड़ा हुआ है। विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत नामांकित और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों की संख्या का ब्यौरा **अनुबंध-II** में संलग्न है।

**

अनुबंध-I

"देश में असंगठित कामगार" के संबंध में श्री संदोष कुमार पी द्वारा पूछे गए दिनांक 12.03.2026 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *212 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

क्रम संख्या	योजना का नाम	नामांकन	
1.	**प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम):** यह 15,000 रुपए तक की मासिक आय वाले 18-40 वर्ष की आयु के असंगठित कामगारों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। प्रवेश की आयु के आधार पर, अभिदाता प्रति माह 55 रु. से 200 रु. के बीच अंशदान देता है और सरकार द्वारा समान राशि का अंशदान प्रदान किया जाता है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद अभिदाता को न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होती है।	लगभग 52.47 लाख (28.02.2026 तक की स्थिति के अनुसार)	
2.	**व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस-ट्रेडर्स):** यह ऐसे दुकानदारों, व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए एक पेंशन योजना है, जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और जिनकी आयु 18-40 वर्ष है। इसमें 60 वर्ष की आयु के पश्चात न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है, जिसमें सरकार द्वारा समान अंशदान दिया जाता है		लगभग 61 हजार (28.02.2026 तक की स्थिति के अनुसार)
3.	**प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई):** एक जीवन बीमा योजना जो 436 रुपये के नाममात्र वार्षिक प्रीमियम पर किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये का जीवन कवर प्रदान करने संबंधी जीवन बीमा योजना है		लगभग 26.79 करोड़ (18.02.2026 तक की स्थिति के अनुसार)
4.	**प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई):** यह एक दुर्घटना बीमा योजना है जो 20 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटनावश मृत्यु या स्थायी नि:शक्तता के लिए 2 लाख रुपये और आंशिक नि:शक्तता के लिए 1 लाख रुपये का कवरेज प्रदान करती है।	लगभग 57 करोड़ (18.02.2026 तक की स्थिति के अनुसार)	
5.	**अटल पेंशन योजना (एपीवाई):** अटल पेंशन योजना का शुभारंभ 9 मई, 2015 को, सभी भारतीयों, विशेषकर गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के उद्देश्य से किया गया था। यह योजना 18-40 वर्ष की आयु के भारत के उन सभी नागरिकों के लिए	लगभग 8.84 करोड़ (28.02.2026 तक की स्थिति के अनुसार)	

	खुली है, जिनके पास बैंक या डाकघर में बचत बैंक खाता है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को गारंटीयुक्त पेंशन प्रदान करने के लक्ष्य को बेहतर रूप से हासिल करने के उद्देश्य से अब कोई भी आयकर दाता 1 अक्टूबर, 2022 से एपीवाई में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा। एपीवाई के तहत अभिदाता को चयनित पेंशन की राशि और योजना में शामिल होने की आयु के आधार पर निर्धारित राशि का मासिक/त्रैमासिक/छःमासिक अंशदान करना अपेक्षित है। अभिदाता को चुने गए अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु के पश्चात मृत्यु तक, प्रति माह 1000 रुपये, प्रति माह 2000 रुपये, प्रति माह 3000 रुपये, प्रति माह 4000 रुपये या प्रति माह 5000 रुपये की सरकारी गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी।	
6.	**प्रधानमंत्री किसान-मानधन योजना (पीएम-केएमवाई):** यह 18-40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसानों के लिए एक स्वैच्छिक अंशदायी पेंशन योजना है, जो 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन प्रदान करती है, जिसमें सरकार द्वारा भी समान अंशदान दिया जाता है।	लगभग 19.92 लाख (09.03.2026 तक की स्थिति के अनुसार)
7.	**आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई):** यह एक प्रमुख स्वास्थ्य एश्योरेंस योजना है जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को द्वितीयक और तृतीयक हॉस्पिटलाईजेशन पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है, जिसमें बड़ी संख्या में असंगठित क्षेत्र के कामगार शामिल हैं।	लगभग 43.60 करोड़ (09.03.2026 तक की स्थिति के अनुसार)

अनुबंध-II

"देश में असंगठित कामगार" के संबंध में श्री संदोष कुमार पी द्वारा पूछे गए दिनांक 12.03.2026 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *212 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

09 मार्च, 2026 तक की स्थिति के अनुसार, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत और विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत नामांकित असंगठित कामगारों की संख्या का ब्यौरा।

क्रम संख्या	योजना	नामांकन
1.	वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी)	24,31,62,820
2.	प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएमस्वनिधि)	32,54,287
3.	विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी आरएएम जी)	6,18,95,941
4.	प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)	98,27,430
5.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस)	1,67,691
6.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस)	11,73,899
7.	प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू)	24,90,348
8.	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)	23,905
9.	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)	2,25,52,084
10.	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)	8,51,79,093
11.	आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई)	15,10,06,017
12.	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	3,95,63,036
13.	प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना (पीएमएमवीवाई)	31,83,241
